	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 16, शुक्रवार, *शाके 1946*- मार्च 07, 2025 *Phalguna 16, Friday, Saka 1946- March 07, 2025*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, मार्च 07, 2025

संख्या F3(1)(6)EEM/ELECTION/Candidates'Exp./2024/1147 :-भारत निर्वाचन आयोग का निम्नांकित आदेश संख्या 76/राजस्थान-लो.स./12/2024/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 28 फरवरी, 2025 सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित किया जाता है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/राजस्थान-लो.स./12/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 28 फरवरी , 2025
9 फाल्गुन, 1946 (शक)

<u>आदेश</u>

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं0 आ0अ0 92 (अ), के अनुसरण में राजस्थान के **12-टोंक-सवाई माधोपुर** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान के **12-टोंक-सवाई माधोपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, टोंक की रिपोर्ट दिनांक **10.07.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से **दिनांक 16.07.2024**

के पत्र सं0 F3(1)(6)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2024/7902 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री विजेन्द्र**, जो राजस्थान के **12-टोंक-सवाई माधोपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री विजेन्द्र** को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/राज0-लो0स0/12/2024/सी.ई.एस.एस.-1 दिनांक **10 जनवरी, 2025** जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री विजेन्द्र** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनो के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, टोंक को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक **31.01.2025** के पत्र सं0 F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2023/566 के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **टोंक** की रिपोर्ट दिनांक **28.01.2025** में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री विजेन्द्र** को उनके पिता श्री किरोडी लाल के द्वारा दिनांक **23.01.2025** को तामील किया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ने पत्र सं0 F3(1)(5)EEM/ELECTION /Candidates'Exp./2023/695 दिनांक **11.02.2025** के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, टोंक की अनुपूरक रिपोर्ट सं. **लोकसभा आम चुनाव/2024/1565** दिनांक **05.02.2025** अग्रेषित किया और बताया कि **श्री विजेन्द्र** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री विजेन्द्र** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन अयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा''

यतः तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विजेन्द्र**, अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि राजस्थान राज्य के साधारण निर्वाचन, 2024 के **12-टोंक-सवाई माधोपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री विजेन्द्र, ग्राम पो0 पिलोदा, तह0 वजीरपुर, जिला गंगापुर सीटी राजस्थान** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

सेवा में,
श्री विजेन्द्र,
ग्राम पो0 पिलोदा,
तह0 वजीरपुर,
जिला गंगापुर सीटी
राजस्थान

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/RJ-LS/12/2024/CEMS-I Dated: **28th February, 2025** / **9 Phalgun, 1946 (Saka)**

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Rajasthan, 2024 for **12-Tonk-Sawai Madhopur** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India vide Notification No. **O.N.92(E),** dated **28th March, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **12-Tonk-Sawai Madhopur** Parliamentary Constituency of Rajasthan, 2024 was declared by the Returning Officer on 4th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per the DEO report dated 10.07.2024 forwarded by the CEO, Rajasthan vide its letter no. F.3(1)(6)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2024/7902, dated 16.07.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, received, **Sh. Vijendra**, a contesting candidate from **12-Tonk-Sawai Madhopur** Parliamentary Constituency of Rajasthan, 2024 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Tonk a Show-Cause notice No.76/RJ-LS/12/2024/CEMS-I, dated 10th January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vijendra**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Vijendra,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Tonk** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **Chief Electoral Officer, Rajasthan** vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2023/566, dated 31.01.2025 forwarded the report to the District Election Officer, Tonk dated 28.01.2025 it was informed that the notice was served to **Sh. Vijendra**, received by the father Shri Kirodi Lal on **23.01.2025**; and

WHEREAS, the CEO, Rajasthan vide letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2023/695, dated 11.02.2025 forwarded the District Election Officer, **Tonk** Supplementary Report No. **लोकसभा आम चुनाव/2024/1565** dated **05.02.2025** and reported that **Sh. Vijendra,** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Vijendra**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Vijendra**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vijendra**, **Village P.O. Piloda, Teh. Wajeerpur, Distt. Gangapur City, Rajasthan** and a contesting candidate in Parliamentary Constituency of General Election to the Lok Sabha of Rajasthan, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY.

Sh. Vijendra,
Village P.O. Piloda,
Teh. Wajeerpur,
Distt. Gangapur City,
Rajasthan

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।